संख्या-77/2017/1614/22-2-2016-17(194)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 02 फरवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान प्रकाश पुत्र श्री उमाशंकर राय, निवासी-जनपद-जौनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34884/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक&12-09-2016 दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान प्रकाश पुत्र श्री उमाशंकर राय, निवासी ग्राम-लखमीपुर, थाना-जलालपुर, जिला-जौनपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 07/08.05.84 को बन्दी ने अपने 14 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कट्टा, लाठी व बल्लम से मारकर 11 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-203/1984 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 302, 307, 120बी के अन्तर्गत मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा दिनांक 27-02-1996 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 03 सहअभियुक्त की मृत्यु, 01 सहअभियुक्त जमानत पर बाहर, 01 सहअभियुक्त इस कारागार में निरूद्ध नही तथा 03 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.05.2016 तक 32 वर्ष 00 माह 02 दिन की अपरिहार एवं 38 वर्ष 08 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु लगभग 53 वर्ष है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की आयु, 11 व्यक्तियों की हत्या संबंधी कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी ज्ञान प्रकाश (बन्दी संख्या-41924) पुत्र श्री उमाशंकर राय, निवासी-जनपद-जौनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-77/2017/1614/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in